कर्मचारी राज्य बीमा निगम
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय,
भारत सरकार )
EMPLOYEES' STATE
INSURANCE CORPORATION
(Ministry of Labour &
Employment, Govt. of India)

सत्यमेव जयते

क्षेत्रीय कार्यालय/ REGIONAL OFFICE,
पंचदीप भवन, सर्वोदय नगर, कानपुर-208005
PANCHDEEP BHAWAN,
SARVODAYA NAGAR, KANPUR-208005
Phone: 0512-2217957
Email: rd-up@esic.nic.in

पत्र सं. 21-ए-24/12/1/प्र.श्रे.लि./1/2018-स्था. दिनांक- 20-11-2025

## परिपत्र

उत्तर प्रदेश क्षेत्र में कार्यरत प्रवर श्रेणी लिपिक संवर्ग के कर्मचारियों की वर्ष 2024 की दिनांक- 31.12.2024 की स्थिति के अनुसार ड्राफ्ट वरिष्ठता सूची इस आशय के साथ परिचालित की जा रही है कि उत्तर प्रदेश क्षेत्र के समस्त उप क्षेत्रीय कार्यालय/ कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल/ कर्मचारी राज्य बीमा निगम मेडिकल कॉलेज व अस्पताल/ क्षेत्रीय कार्यालय, कानपुर के कार्यालयाध्यक्ष व शाखाधिकारी तथा क्षेत्रीय कार्यालय, कानपुर के अतंर्गत आने वाले सभी शाखा कार्यालयों/औषधालय सह शाखा कार्यालयों के शाखा प्रबंधक/प्रभारी अपने अधीनस्थ प्रवर श्रेणी लिपिक संवर्ग के समस्त कार्मिकों को इसका अवलोकन करा दें तथा इसकी पुष्टि हेतु हस्ताक्षर प्राप्त करना सुनिश्चित करें ।

प्रवर श्रेणी लिपिक संवर्ग की उपरोक्त वरिष्ठता सूची DoPT व मुख्यालय द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार निम्नानुसार तैयार की गई है-

1. प्र.श्रे.लि. संवर्ग के कार्मिकों की वरिष्ठता DoPT के पत्र सं. 20011/2/2019-Estt. (D), दि. 13.08.2021 के अनुसार तैयार की गई है ।
2. अंतर्क्षेत्रीय स्थानांतरण के अंतर्गत उत्तर प्रदेश क्षेत्र में कार्यग्रहण करने वाले कार्मिकों की परस्पर वरिष्ठता मुख्यालय के पत्र सं. A-33/19/5/2024-Estt-II दि. 28.07.2025 द्वारा जारी "Standard Operating Procedure (SOP) for processing change of Region requests from employees in the Non-Medical Administrative side of ESIC in pay levels corresponding to Group 'C' Employees of the Central Government." के General Conditions के बिंदु 4(b) के अनुसार (भर्ती का वर्ष, भर्ती का वर्ष समान होने पर मूल क्षेत्र में नियुक्ति/ कार्यग्रहण की तिथि, मूल क्षेत्र में नियुक्ति/ कार्यग्रहण की तिथि समान होने पर जन्मतिथि व जन्मतिथि समान होने पर नाम के अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार) निर्धारित की गई है ।
3. प्र.श्रे.लि. संवर्ग में भर्ती के विभिन्न माध्यमों DR, DPC, LDCE के मध्य rotation of quota प्र.श्रे.लि. के भर्ती विनियम में विभिन्न माध्यमों हेतु उल्लिखित प्रतिशतता के अनुसार i.e. 75:15:10 i.e. 15:3:2 (जहाँ भी लागू हो) के अनुसार किया गया है ।
4. बिंदु सं. 3 में उल्लिखित भर्ती के विभिन्न माध्यमों में से वरिष्ठता सूची में प्रारम्भ बिंदु / प्राथमिकता व क्रम का निर्धारण DoPT के पत्र सं. 28011/6/76-Estt. (D), दि. 24.06.1978 द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन के अनुसार किया गया है ।

ड्राफ्ट वरिष्ठता सूची में क्रम सं. 1 से 162 तक के कार्मिकों के संबंध में वरिष्ठता पहले ही अंतिम रूप से निर्धारित की जा चुकी है, अतः क्रम सं. 1 से 162 तक के कार्मिकों के संदर्भ में विवरण के संबंध में तथा क्रम सं. 163 से 192 के कार्मिकों के संदर्भ में वरिष्ठता/ विवरण के संबंध में त्रुटियाँ/ आपत्तियाँ यदि कोई हों, तो कर्मचारियों से प्राप्त कर अभ्यावेदन केवल ई-मेल **rd-up@esic.gov.in** पर **दि.05.12.2025 को सायं 05.00 बजे** तक इस कार्यालय को अवश्य प्रेषित कर दें अन्यथा विलम्ब से प्राप्त होने वाले अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा तथा वरिष्ठता सूची को अंतिम मान लिया जाएगा ।

उप क्षेत्रीय कार्यालय/कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल/ शाखा कार्यालय/औषधालय सह शाखा कार्यालय द्वारा विवरण के संबंध में अभ्यावेदन/ आपत्ति अग्रेषित करते समय संबंधित साक्ष्य (सेवा पुस्तिका/ कार्यालय आदेश इत्यादि की सत्यापित प्रति) संलग्न की जानी आवश्यक है ।

**ड्राफ्ट वरिष्ठता सूची में क्रम सं. 1 से 162 तक के कार्मिकों के संबंध में वरिष्ठता के संबंध में किसी भी अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा ।**

ड्राफ्ट वरिष्ठता सूची वेबसाइट www.esic.gov.in पर भी उपलब्ध है ।

संलग्नकः यथोपरि ।

Digitally signed by Anurag Kumar
Date: 20-11-2025 13:01:40

(अनुराग कुमार)
उप निदेशक (स्थापना -I)

प्रतिलिपिः-

1. संबंधित कर्मचारी (नियंत्रण अधिकारी के माध्यम से) ।
2. क्षेत्रीय निदेशक महोदय के निजी सचिव, निजी सचिव अनुभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, क.रा.बी.निगम, कानपुर को सूचनार्थ ।

3. डीन, कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल व मेडिकल कालेज, वाराणसी को सूचनार्थ व आवश्यक कार्रवाई हेतु ।
4. उप निदेशक (प्रभारी), उप क्षेत्रीय कार्यालय, क.रा.बी.निगम, नोएडा/ लखनऊ/ वाराणसी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु ।
5. चिकित्सा अधीक्षक, क.रा.बी. निगम अस्पताल, जाजमऊ, कानपुर/ बरेली/ लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु ।
6. समस्त शाखाधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, क.रा.बी.निगम, कानपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु ।
7. क्षेत्रीय कार्यालय, कानपुर के अधीन समस्त शाखा कार्यालय/औषधालय सह शाखा कार्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु ।
8. शाखाधिकारी, आई.टी. शाखा, क्षेत्रीय कार्यालय, क.रा.बी.निगम, कानपुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इसे विषय " DRAFT SENIORITY LIST OF UDC POSTED IN U.P. REGION for Year 2024 (as on 31.12.2024) " के साथ वेबसाइट पर स्थायी रूप से अपलोड कराने का श्रम करें ।
9. शाखाधिकारी, राजभाषा शाखा, क्षेत्रीय कार्यालय, क.रा.बी.निगम, कानपुर को इस अनुरोध के साथ कि कृपया इस परिपत्र का अंग्रेजी में अनुवाद कराने का श्रम करें ।
10. क्षेत्रीय कार्यालय, क.रा.बी.निगम, कानपुर के सभी नोटिस बोर्ड ।